

प्रेषक,

प्रशांत कुमार  
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका;  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 28.10.2020

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 में जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) अन्तर्गत नई लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु रूपये 400.734 लाख (रूपये चार करोड़ तिहातर हजार चार सौ मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या- 63/12.02.2019 एवं 83/27.01.2017; (Online स्वीकृत्यादेश सं. 2097, दिनांक 12.02.2019 एवं 2289, दिनांक 09.02.2017)

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र. संख्या/मुख्य शीर्ष /उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष /उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष /विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु.)	
1	2	3	4	5
1. 50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101-सतही जल/ 19- नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05-निर्माण/ 45- निर्माण कार्य विपत्र कोड- 50S470200101190545	400.734	

आवंटित राशि – रूपये चार करोड़ तिहातर हजार चार सौ मात्र।

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि वर्ष 2020-21 के बजट उपबंध राशि रु. 2380.00 लाख (तेईस करोड अस्सी लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि योजना-सह-विभाग (वित्त प्रभाग) के पत्रांक-1643, दिनांक-02.09.2020 के आलोक में विभाग के राज्य योजना के लिये कुल बजट उपबंध के 25% की राशि के अन्तर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747/वि., दिनांक-19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरण: पालन करते हुए किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

9. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
10. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
11. आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
12. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को समय उपलब्ध कराया जाय।
15. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-15 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त।

  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :— 90

रॉची, दिनांक :— 28.10.2020

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक्क) झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/मेदिनीनगर/पलामू/हजारीबाग/रामगढ़/बोकारो/चतरा/गिरिडीह सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।


  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :— 90


रॉची, दिनांक :— 28.10.2020

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सार्विकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।



(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

  
(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाइ पर पूँजीगत व्यय  
लघु शीर्ष-101-सतही जल,  
उप शीर्ष-19-नई लघु सिंचाइ योजनाओं का निर्माण,  
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण  
विपत्र कोड- 505472020101190545

क्र. नं.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति				वर्ष 2020-21 में		योजना पर कुल अद्यतन असरदार (10+13)	Online Allotment Access No.	अन्युकृति		
					प्रसंग	राशि	Online प्रसंग	एकात्मिक राशि	मार्च 2020 तक व्यय	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	लखु लिंगाई प्रमंडल, भैदरीनगर (PLMMR041)	पांची	नटही नाला पर चैकडैम निर्माण	57.735	58.794	6.680	0.000	28.259	28.259	34.939				
2	2		पाटन	दंका नाला पर चैकडैम निर्माण	109.502	97.451	12.870	0.000	46.963	46.963	59.833				
3	3		अकराही	नाला पर चैकडैम निर्माण	70.694	59.469	0.000	0.000	5.255	5.255	5.255				
4	4		सतबरथा	नारपाण नाला पर चैकडैम निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2019	36.115	2097	37.292	4.495	0.000	21.518	21.518	26.013	54930	
5	5		तरहसी	चरसोरिया नाला पर श्रृंखलाबद्ध चैकडैम निर्माण	102.948	101.948	11.835	0.000	59.456	59.456	71.291				
6	6		तेस्तीगंज	ग्राम पीपलहट में कुट्ट रहिया नाला पर चैकडैम स०-१ निर्माण	62.954	62.012	7.425	0.000	37.243	37.243	44.668				
7	7		ग्राम कोलिला में कुन्तरहिया नाला पर चैकडैम स०-२ का निर्माण	64.527	63.773	7.750	0.000	39.723	39.723	47.473					
			योग :-		504.475	480.739	51.055	0.000	238.417	238.417	289.472				
8	1	लखु प्रमंडल, हजारीबाग (HZBMR001)	ईशाक	पोखरिया नाला पर शू० चैकडैम निर्माण	83/2016-17 dt. 27.01.2017	85.155	2289	66.397	58.563	0.000	7.414	7.414	65.977	54934	
9	1	लखु लिंगाई प्रमंडल, रामगढ (RGHMR012)	रामगढ	माण्डु फुलसराई नाला पर चैकडैम निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2019	44.758	2097	38.163	0.000	18.893	18.893	18.893	54931		
			योग :-		44.758	38.163	0.000	0.000	18.893	18.893	18.893				

(प्रांक नम्बर लिये में)

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्थिरता			वर्ष 2020-21 में			योजना पर कुल अदान आवंतन (10+13)	Online Allotment Access No.	अन्युजित		
					प्रसंग	राशि	Online प्रसंग	एकारित राशि	मार्च 2020 तक व्यय	पूर्व का आवंतन	वर्तमान कुल आवंतन				
10	1			नाताडीह	ग्राम धाराटांड में कोचारोडा चेकडैम निर्माण	52.045		45.374	0.000	0.000	28.869	28.869	28.869		
11	2	लक्ष्मी सिंचाई प्रमंडल, बोकारो	पेट्रोवार	झायमलता नाला पर चेकडैम सं0-2 निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2019	88.324	78.665	0.000	0.000	43.524	43.524	43.524	54932		
12	3	(BKRMIR001)	गोमिया	नगुलवा जोरिया तुमगिया में चेकडैम निर्माण	75.890 dt. 12.02.2019	2097	65.965	0.000	0.000	37.040	37.040	37.040			
13	4		कंसमार	गोवई जोरिया (पुडी) में चेकडैम निर्माण	34.732		48.510	0.000	0.000	7.761	7.761	7.761			
			योग :-		270.991	0.000	238.514	0.000	0.000	117.194	117.194	117.194			
14	1	लक्ष्मी सिंचाई प्रमंडल, चतरा (CTRMIR001)	चतरा	मुहुर्हड़	बोना नदी पर एकल चेकडैम निर्माण	83/2016-17 dt. 27.01.2017	73.712	2289	63.960	55.740	0.000	3.379	3.379	59.119	54935
			योग :-				73.712		63.960	55.740	0.000	3.379	3.379	59.119	
15	1	लक्ष्मी सिंचाई प्रमंडल, गोरिही (GRDMIR001)	गोरिही	सरिया	कनदवा घाट नाला पर चेकडैम निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2019	40.326	2097	34.931	0.00	0.000	15.437	15.437	54933	
			योग :-				40.326		34.931	0.000	0.000	15.437	15.437	15.437	
			सकल योग :-		1,019.417		922.704	165.358	0.000	400.734	400.734	566.092			

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अधि. )(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अधि. )(प्रशासन उमार)  
सचिव